FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अति. जिला कलक्टर दौसा मुकाम

जगदीश बनाम चन्द्राराम

मुकदमा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण नं. 18/2024 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-1-26	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज कार्य में ... पर होने से गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 6-2-26 को पेश हो। [initials]	
6-2-26	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज कार्य में ... पर होने से गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23-2-26 को पेश हो। [initials]	
23-2-26	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा तकाज़ा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश बनाम चन्द्राराम केस वाद सं 137/2024 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश बनाम चन्द्राराम केस मु नं 58/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना कोई साक्ष्य, सबूत व बिना कानूनी सुनवाई अवसर दिये ही बहस सुनकर बिना प्रक्रिया को पूर्ण किये ही आदेश करने पर आमादा है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज करने को आमादा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी यही है कि पक्षकारों को जहाँ से न्याय की - क्रमशः [signature] अति. जिला कलक्टर दौसा	प्रार्थी पत्रावली [illegible]

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी
	उम्मीद नहीं है, वहाँ पर सुनवाई नहीं करवाई जाकर पत्रावली का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिये। अत: प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई में विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई के पीठासीन अधिकारी पर निराधार, मनगढ़त एवं मिथ्या आरोप लगाया जाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अत: प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा अभी तक वांछित टिप्पणी नहीं भिजवाई गई है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होना व्यक्त किया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई में विचाराधीन मु.नं. 137/2024 ग्राम टकारखा एवं मु.नं. 58/2024 प्र.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इनवाणी जगदीश बनाम चन्द्राराम वगैरह का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली को अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में भिजवावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई एवं सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद मुर्तब प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 23-2-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 23/2/26 अरविन्द शर्मा अति. जिला कलक्टर दौसा (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner